न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 200 / 2011
प्रकरण दायर दिनांक 30.11.2021,
इस न्यायालय में दर्ज संख्या 64 / 2022
दिनांक 03.01.2022
प्रकरण निर्णय दिनांक 09.03.2022

उनवान

1. कमला पत्नि स्वर्गीय रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी चीमापुरा
2. आजाद पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी चीमापुरा
3. सोहनलाल पुत्र स्वर्गीय रामचन्द्र
4. शिब्बू पुत्री स्वर्गीय रामचन्द्र

| नाबालिगान जरिये संरक्षक बतौर माता श्रीमति कमला देवी समस्त जातियन बैरवा नि०चीमापुरा तह० बसवा जिला दौसा

—: वादी

बनाम:—

प्रेमचन्द पुत्र रामसहाय
घनश्याम पुत्र रामसहाय
तहसीलदार बसवा

| जातियान बैरवा निवासी चीमापुरा तहसील बसवा जिला दौसा

:— प्रतिवादीगण

" दावा स्थाई निषेदाज्ञा व उद्घोषणा , तकासमा एवं दुरूस्ती इन्हाज "

::निर्णय::

वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादी वास्ते स्थाई निषेदाज्ञा व उद्घोषणा , तकासमा एवं दुरूस्ती इन्हाज " इस आशय का न्यायालय उप– जिला कलेक्टर बांदीकुई में दिनांक 30.11.2011 को पेश किया कि प्रथम भूमि आराजी खसरा नम्बर 272 रकबा 0.18 ऐयर बारानी –1, खसरा नम्बर 274 रकबा 0.06 एयर बारानी–1 खसरा नम्बर 275 रकबा 0.09 एयर गैर मुमकिन आबादी, खसरा नम्बर 276 रकबा 0.07 एयर बारानी–1खसरा नम्बर 277 रकबा 0.017 एयर बारानी –1 खसरा नम्बर 278 रकबा 0.15 एयर बारानी –1 खसरा नम्बर 279 रकबा 0.16 एयर बारानी–1 खसरा नम्बर 280 0.19 एयर बारानी –1 एवम खसरा नम्बर 284 रकबा 0.19 एयर बारानी–1 कुल किता–9 कुल रकबा 1.26 हैक्टेयर लगानी 14 रूपये 04 पैसे वाके ग्राम ग्राम चीमापुरा पटवार हल्का करनावर भू.अभि. नि. क्षेत्र बसवा मे स्थित है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 दर्ज है। द्वितीय भूमि:– आराजी खसरा नम्बर 528 रकबा 0.10 एयर बारानी ए खसरा नम्बर 529 रकबा

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner

0.22 एयर बारानी –ए खसरा नम्बर खसरा नम्बर 530 रकबा 0.26 एयर बारानी –ए खसरा नम्बर 531 रकबा 0.22 एयर बारानी –ए खसरा नम्बर 532 रकबा 0.23 एयर बारानी –ए खसरा नम्बर 533 रकबा 0.06 एयर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 534 रकबा 0.04 एयर गैर मुमकिन चबूतरा, खसरा नम्बर 535 रकबा 0.25 एयर बारानी –ए खसरा नम्बर 536 रकबा 0.25 एयर बारानी –ए खसरा नम्बर 537 रकबा 0.27 एयर बारानी–ए कुल किता 11 कुल रकबा 2.17 हैक्टेयर लगानी 33 रूपये 12 पैसे वाके रामा ग्राम फुलेला पटवार हल्का करनावर तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/16 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण वर्तमान में बराबर बराबर हिस्से पर काबिज है। चीमापुरा की कुल भूमि 1.26 हैक्टेयर है जिसमें 0.09 एयर भूमि आबादी में गई, शेष भूमि 1.15 एयर है जिसमें वर्तमान में वादीगण व प्रतिवादीगण का कुल रकबा 1/2 के हिस्सा 0.29 है भूमि बनती है जिसमें प्रतिवादीगण ने पुख्ता भवन भी बना लिया है वर्तमान में वादिया का कब्जा 0.27 ऐयर पर ही है एवं प्रतिवादीगण के पास ग्राम फुलेला की भममि है जिसका कुल रकबा 2.17 हैक्टेयर है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 है जिसका रकबा 0.54 है0 है जिसमें प्रतिवादीगण नम्बर एक व दो का रकबा 0.27 – 0.27 ऐयर होता है। इस प्रकार मौके पर बराबर की तीनो सहखातेदारी की भूमि 0.27– 0.27 एयर होती है। भूमि ग्राम फुलेला पर प्रतिवादीगण का कब्जा व वादिया का ग्राम चीमापुरा में कब्जा है जो बदस्तुर चला आ रहा है। चीमापुरा की भूमि जो कि रोड के लगते हुए है अब प्रतिवादीगण के मन में बईमानी आ गई इसलिए वादिया की भूमि में कब्जा कर हडपना चाहते है एवंम खाते में होने के कारण दीगर व्यक्तियों व भूमि– माफियाओ को बेचान करने पर आमादा है। दिनांक 15.11. 2011 को वादिया ने प्रतिवादीगण से चीमापुरा व फुलेला की भूमि जो समान हिस्से की है एवं आपस में बांट रखी है उसे तहसीलादार के यहां चलकर अना खाता च भूमि अलग अलग अपने नाम करवाले प्रतिवादीगण ने तो प्रतिवादीगण नाराज हो गये व लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये कहने लगे कि हम इस जमीन पर रामसिह राजपूत को बताकर कब्जा करवा देगे तु अकेली विधवा महिला है हमारा कुछ नही बिगाड सकती है। वाद पत्र मे निम्न अनुतोष स्वीकार करते हुए डिक्री फरमाया जावे। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की प्रथम भूमि किता 9 कुल रकबा 1.26 है0 लगाी 14 रूपये 04 पैसे वाके रामा चीमापुरा पटवार हल्का करनावर तहसील बसवा जिला दौसा मे स्थित है जिसमे वादीगण व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 एवं द्वितीय भूमि किता 11 कुल रकबा 2.17 है0 लगानी 33 रूपये 12 पैसे वाके ग्राम फुलेला पटवार हल्का करनावर तहसील बसवा जिला दौसा मे स्थित है जिसमे वादीगण का हिस्सा 1/16 व प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4 दर्ज है। उक्त भूमि मे से भूमि प्रथम चीमापुरा की समस्त वादीगण के हक मे घोषणा की जावे एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय करने, उस पर अतिक्रमण करने, कब्जा करने एवं मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखे व वादीगण के हक आदेश जारी कर उक्त भूमि का अलग से खाता कायम कर अलग पासबुक व लगान का अलग से बंटवारा करने का निवेदन किया गया।

वादी वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये सम्मन किया प्रकरण तलबी दौरान प्रतिवादी वास्ते जवाब चाहा गया दिनांक 29.03.2012 को प्रतिवादीगण 01 लगायत 02 की ओर से जवाब वाद एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक दावा व साथ प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय हाजा मे पेश किया है। प्रार्थीगण के द्वारा दावा व प्रार्थना–पत्र कतई गलत है व रिकार्ड के विपरीत गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण ने दावा हाजा मे आवश्यक पक्षकारान को खातेदारान को बिना पक्षकार बनाये ही दावा हाजा पेश किया है। खातेदारान को पक्षकारान न बनाये जाने की सुरत मे प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। जवाब वाद मे प्रतिवादीगण 01

Scanned with CamScanner

तनायत 02 द्वारा अवगत कराया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी की भूमि ग्राम चीमापुरा व ग्राम फुलेला मे स्थित है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/4, 1/4 है अब वादीगण के मनमे बदनियती आजाने से उसने ह कतई गलत व झुठे आधारो पर दावा हाजा पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण एवम् प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर बजमाने बुजुगान से काबिज काश्त है व उक्त दोनो जगहो की सहखातेदार भी है जिनको वादी ने अपने दावे मे पक्षकार नहीं बनाया गया है बिना पक्षकार बनाये उक्त दावा चलने योग्य नही है खारिज किये जाने योग्य है। भूमि विवादित का अभी तक विधिवत पक्षकारान के मध्य तकासमा भी नही हुआ है। इसलिये यह दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय हाजा को को दावा हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त नही है। उक्त प्रकार के दावे को सुनवायी के अधिकार टीनेन्सी एक्ट के अनुसार तहसीलदार के द्वारा भूमि का आदान-प्रदान किया जा सकता है इसलिये वाद वादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। वादीगण ने दावा हाजा कतई गलत व झूठे आधारो पर पेश किया है दावा बिना कोई कारण के पेश किये जाने से खारिज किये जाने योग है वादीगण, प्रतिवदीगण को किसी भी सुरत मे प्रतिबंधित करवाने के अधिकारी नही है।

हमने वादी वाद पत्र एवं जवाब वाद प्रतिवादी के अभिवचनो के आधार पर वादी की ओर से वाद की ताईद में बतोर साक्ष्य शपथ पत्र स्वंय वादी कमला की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र एवं वादी अधिवक्ता की बहस सूनी तथा संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई से स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा सं. सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक) बांदीकुई को 03.01.2022 को बहस में नियत होकर प्राप्त हुआ था। पत्रावली मे दिनांक 28.11.2016 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करते हुये साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 24.01.2017 नियत की गई। दिनांक 13.03.2018 को साक्ष्य शपथ-पत्र स्वयं वादी कमला का पेश किया गया। दिनांक 06.01.2020 को धारा 7 नियम 11 जा0दी0 का जवाब पेश न कर प्रतिवादी वकील द्वारा बहस की गई, बहस के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत धारा 7 नियम 11 जा0दी0 पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाकर पत्रावली अंतिम बहस पर नियत की गई। पत्रावली पर दिनांक 02.03.2022 को वादी वकील द्वारा बहस की गई बहस सुनी गई।पत्रावली मे उपलब्ध ग्राम फुलेला की जमाबंदी संवत 2064-2067 खाता संख्या नया 04 पुराना 119 एवं ग्राम चीमापुरा की जमाबंदी संवत 2064-2069 खाता संख्या नया 10 एवं पुराना 9 का अवलोकन करने पर प्रतिवादीगण 01 व 02 के अतिरिक्त अन्य सह खातेदार भी उक्त भूमि के खातेदार है जिसपर तकासमा नही हुआ है। विवादित भूमि सामलाती एवं सहखातेदारो की होने के कारण किसी एक खातेदार को कब्जे काश्त के आधार पर उदघोषणा किया जाना संभव नही है। अतः दावा पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना शर्मा)
आरएएस
सहायक कलेक्टर फास्ट-ट्रेक
बांदीकुई जिला दौसा

Scanned with CamScanner